

न्यायालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम:-कानाराम, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या:-107/2024 (14 सिविल रिट डिपार्टमेंट)

एयु स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (पूर्व में एयु फाइनेंसर्स इण्डिया लि0 के नाम से जाना जाता था) शाखा कार्यालय 19ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर-302001 राजस्थान।

—प्रार्थी

बनाम

1. श्री बलवीर पुत्र श्री मांगी लाल पता वार्ड नं. 5, श्योदानपुरा, 20 केएनएन तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ - ऋणी
2. श्रीमती इन्द्रा पत्नि श्री बलवीर पता वार्ड नं. 5, श्योदानपुरा, 20 केएनएन तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ - सहऋणी
3. श्री मांगेराम पुत्र श्री बेगा राम पता वार्ड नं. 5, श्योदानपुरा, 20 केएनएन तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ - सहऋणी



आदेश

दिनांक :-21.08.2024

प्रार्थी एयु स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (पूर्व में एयु फाइनेंसर्स इण्डिया लि0 के नाम से जाना जाता था) शाखा कार्यालय 19 ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री मनोज कुमार की ओर से श्री जयपाल झोरड़ वकील उपस्थित आये जिनको सुना गया। बैंक के वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण को ऋण 6,00,000/- रुपये की ऋण सुविधा दिनांक 20.02.2018 को स्वीकृत व वितरित की गई थी। अप्रार्थीगण ने उक्त ऋण सुविधा की ऐवज में अपनी अचल सम्पत्ति-पट्टा नं. 02, बुक नं. 11, संकल्प सं. 01, ग्राम श्योदानपुरा, ग्राम पंचायत खिनानिया, पंचायत समिति टिब्बी जिला हनुमानगढ़ साईज 361.83 वर्ग गज = 3256.5 वर्गफुट जिसकी चतुर्थ सीमा जिसके पूर्व में काशीराम सिरावता, पश्चिम में भूप सिंह नाई, उत्तर में आम रास्ता दक्षिण में दुनीराम नाई स्थित है जिसमें भूमि, भवन व ढोंचा आदि सम्पत्ति के अभिन अंग है, जिसका कुल क्षेत्रफल 361.83 वर्ग गज = 3256.5 वर्गफुट है, जो कि श्री दीपक कुमार सोनी श्री बलवीर पुत्र श्री मांगी लाल के नाम से हैं, जिसको आवश्यक दस्तावेजों का निष्पादन करके प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में साम्यिक बंधक किया।

अप्रार्थीगण ने कम्पनी द्वारा प्रदत्त ऋण को ऋण अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार नहीं चुकाने पर उक्त ऋण खाता दिनांक 09.07.2023 को अक्रियान्वित आरिस्ट के रूप में (एन.पी.ए.) वर्गीकृत कर दिया गया है। अप्रार्थीगण के ऋण खाता में बकाया राशि 4,75,390/- रुपये दिनांक 04.12.2023 तक का ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके पश्चात का ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त बकाया निकलते हैं और इस राशि का भुगतान करने के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है।

अप्रार्थीगण के ऋण खाता एनपीए होने पर एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रार्थी कम्पनी ने अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 04.12.2023 भेज कर 60 दिन में ऋण राशि जमा करने की मांग की गई। परन्तु नोटिस के उपरान्त भी समयवाधि में ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया।

अप्रार्थीगण द्वारा देय ऋण राशि का भुगतान बावजूद मांग के प्रार्थी कम्पनी को नहीं करने पर उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी कम्पनी उपरोक्त वर्णित रहन शुदा सम्पत्ति का

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर शेष देय ऋण राशि वसूल करने का अधिकारी है। उक्त एक्ट की धारा के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त रहन शुदा बंधक सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी कम्पनी द्वारा लिया जाना है। प्रार्थी कम्पनी को भौतिक कब्जा लेने हेतु पुलिस सहायता दिलाये जाने के आदेश फरमाये जावे।

प्रार्थी कम्पनी के वकील के कथनों पर मनन किया और पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी कम्पनी को ऋण राशि का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी कम्पनी द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को नोटिस प्रेषित करना पाया गया। इसके पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि की शर्तों के मुताबिक ऋण राशि का भुगतान प्रार्थी कम्पनी को नहीं करने पर The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets of Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत तथा प्रार्थी कम्पनी के द्वारा पेश किये गये शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए प्रार्थी कम्पनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी कम्पनी के पास रहन रखी अचल सम्पत्ति - पट्टा नं. 02, बुक नं. 11, संकल्प सं. 01, ग्राम श्योदानपुरा, ग्राम पंचायत खिनानिया, पंचायत समिति टिब्बी जिला हनुमानगढ़ साईज 361.83 वर्ग गज = 3256.5 वर्गफुट जिसकी चतुर्थ सीमा जिसके पूर्व में काशीराम सिरावता, पश्चिम में भूप सिंह नाई, उत्तर में आम रास्ता दक्षिण में दुनीराम नाई स्थित है जिसमें भूमि, भवन व ढांचा आदि सम्पत्ति के अभिन अंग है, जिसका कुल क्षेत्रफल 361.83 वर्ग गज = 3256.5 वर्गफुट है, जो कि श्री दीपक कुमार सोनी श्री बलवीर पुत्र श्री मांगी लाल के नाम से है, जिसका भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ को निर्देश दिये जाते हैं कि प्रार्थी कम्पनी का चाहे अनुसार पुलिस सहायता संबंधित पुलिस थाना के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली नंबर से कम की जाकर दाखिल दफतर की जावे। यह आदेश आज दिनांक 21.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।



01
जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़